न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

(54)

176
14.5.15

Rs. 20/-

निगरानी 1608-II-15

प्र0क्र0–

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

——— आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. गंगा बानी तनय रामलक्ष्मण बानी,
2. नारायण प्रसाद गुप्ता तनय ईश्वरजीत गुप्ता,

सभी निवासी ग्राम– कोतरकला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

——— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्तागण

श्री विवेक शर्मा एड. के द्वारा आज दिनांक 04-6-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म.प्र.) द्वारा प्र0क्र0– 29 / 1986–87 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक– 09.07.1990

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:–

1. यह कि ग्राम– कोतरकला, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) स्थित **आवेदित भूमि खसरा नंबर– 414 / 2.30 एकड़ एवं 415 / 6.34 एकड़, मुस0 जयमुनिआ (मृतक)** को अधीनस्थ तहसीलदार तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) द्वारा लीज पर प्रदान की गयी थी किन्तु लीज की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक नजूल सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अधीनस्थ कलेक्टर महोदय, जिला– सीधी (म.प्र.) द्वारा अपने न्यायालय के प्र0क्र0– 01 / अ–39 / 1984–85 में **विधिसंगत आदेश दिनांक– 22.10.1986** पारित किया

(17)

R1608-II/15 सीधी

शासन (म.प्र.) बनाम गंगा बानी

21-3-17 आवेदक अभिभावक श्री विवेक शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण संचालित नहीं करने हेतु आग्रह किया। आवेदक अभिभावक के अनुरोध पर प्रकरण नोट प्रेस कर समाप्त किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध रिकार्ड हो।

सरस्वती

(28)

NOI
[illegible]
21/3